कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES (court fee stamps ×2)

130

नि.रा. — 181 — I — 16

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /2015

यशवन्त शर्मा पुत्र स्व0श्री मंगलदासजी महन्त
निवासी धर्माधिकारी गली, अंदर किला विदिशा
विदिशा म0प्र0 . . . . अपीलांट

बनाम

श्रीरामजानकीमंदिर – मीणा समाज ट्रस्ट
बेतवातट विदिशा म0प्र0 जरिये अध्यक्ष-श्री
भवानीसिंह पुत्र श्री हजारीलाल मीणा
निवासी ग्राम धतूरिया तहसील गुलाबगंज
जिला विदिशा म.प्र.. . . . . रिस्पोंडेंट

अपील निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 13.11.15
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक विदिशा के
प्रकरण क्रमांक 120/बी/ 121/13-14 , अन्तर्गत धारा 04 एवं
धारा 24 लोकन्यास अधिनियम /

==

माननीय महोदय,

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार हैं कि:- अपीलांट/आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक आवेदन धारा 11(3) - 13 (2) , 14 डी एवं 18 म.प्र.लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें दर्शाया गया कि रिस्पोंडेंट मंदिरट्रस्ट बेतवा तट विदिशा पर स्थित है जिसका गठन दिनांक 26.02.1993 को होकर पंजीकृत किया गया है । ट्रस्ट बनने के पूर्व विवादित जगह पर मंदिर के महन्त श्री मंगलदास द्वारा धर्मशाला एवं 28 कमरे बनवाए थे ,श्री मंगलदासजी अपीलांट/आवेदक के पिताजी थे, उनकी मृत्यु के बाद धर्मशाला का खसरानंबर 1186 बताकर पब्लिक ट्रस्ट बना लिया गया , किन्तु बाद में जांच होने पर पाया गया कि विवादित ट्रस्ट जिसमें मंदिर धर्मशाला स्थित है का खसरानंबर 1186 न होकर 1187/1 है, जोशासकीय भूमि है शासन द्वारा जांच करायी जाकर तदनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया गया ।

...2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/181-I/16 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-9-16	आवेदक की ओर से श्री प्रेम सिंह राठौर अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं वकालत नामा प्रस्तुत कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लिये जाने का आग्रह किया गया। आवेदक अभि. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये मूल दस्तावेज वापिस किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र० दा० हो।	
	(हस्ताक्षर)	

[कृ. प. उ.